रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2014/फाल्गुन 7, 1935
No. 87] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014/PHALGUNA 7, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 120(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र और महानिदेशक, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन समूह 'क' भर्ती नियम, 2011 को, जहां तक उसका संबंध महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के पद से है, को अधिक्रांत करते हुए महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतनबैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संबद्ध वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगीं जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती से लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ।	1 (2014)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	उच्च प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान 67000-79000/- रु. (तीन प्रतिशत की दर पर वार्षिक वेतन वृद्धि)	लागू नहीं होता	50 वर्ष की आयु तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र, लाहोल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला का पांगी अंडमान एवं निकोबर द्वीप समूह अथवा लक्ष्यद्वीप में रह रहे अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख होगी।)

शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक और अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमे भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए
7	8	9	10	11	12	13
अनिवार्य: i. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर इंजीनियरी अथवा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर और नेटवर्क सुरक्षा अथवा इलेक्ट्रॉनिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिकी और संचार अथवा संचार अथवा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिकी अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा सुदूर संवेदनशील अथवा भौगोलिक सूचना प्रणाली में इंजीनियरी में	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प कालिक संविदा सहित) / सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) :** (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी,- (अ) (i) जो नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित किए हों, अथवा (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-4, वेतनमान 37,400-67,000/-रु. और ग्रेड वेतन-10,000/-रु. में 3 वर्ष की नियमित	समूह 'क' विभागीय चयन समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग –अध्यक्ष 2. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग-सदस्य 3.सचिव,कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग- सदस्य	लागू नहीं होता ।

स्नातकोत्तर अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर **अनुभव** i. सरकारी सेवकों के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी या प्रणाली कार्यान्वयन या ई-शासन में पच्चीस वर्षों का अनुभव ii. सूचना प्रौद्योगिकी अथवा प्रणाली कार्यान्वयन या ई-शासन के क्षेत्र में पच्चीस वर्ष का अनुभव (गैर सरकारी सेवकों के मामले में), जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव निम्नलिखित के रूप में होना चाहिए : (क) मुख्य कार्यपालक के रूप में कम से कम पिछले 10 वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संगठन के मुख्य कार्यपालक के रूप में (सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संगठन से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत ऐसी निजी इकाई अभिप्रेत है जिसका इसके कार्यपालक के रूप में उक्त संगठन के साथ अभ्यर्थी के संगम के दौरान कम से कम पच्चीस करोड़ रुपए का वार्षिक बिक्री टर्नओवर हो) या (ख) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा/अनुसंधान में लगे मान्यता प्राप्त अकेदमिक संस्थान का निदेशक या विभागाध्यक्ष । **वांछनीय** निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में डाक्टरेट (पी.एच.डी) विज्ञान/कम्प्यूटर और नेटवर्क रक्षा/ इलेक्ट्रॉनिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी और संचार/ इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी/ सुदूर संवेदनशील/भौगोलिक सूचना प्रणाली				सेवा की है; और (ब) जिन्हें स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता और अनुभव हो । (ख) पच्चीस वर्ष की नियमित सेवा के साथ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जिनको ई-शासन के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव हो । (वेतन बैंड-4, 37400-67000/-रु. और ग्रेड वेतन-10,000/-रुपए में इस ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक 'जी' पर बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा । यदि नियुक्ति के लिए उसका चयन होने पर इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा ।) टिप्पण 1 : **प्रतिनियुक्ति** (अल्प कालिक संविदा सहित) **की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति** (अल्प कालिक- संविदा सहित) **की अवधि** शामिल **है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।** टिप्पण 2 : **प्रतिनियुक्ति** (अल्पकालिक संविदा सहित) **पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**	4 सचिव, दूर संचार विभाग-सदस्य 5. एक विख्यात वैज्ञानिक या सुसंगत क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त शिक्षाविद- सदस्य	

[फा. सं . 1(9)/2013-का.III]

राजकुमार गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

G.S.R. 120(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology, Director General, National Informatics Centre and Director General, Standardisation, Testing and Quality Certification Group 'A' Post Recruitment Rules, 2011, in so far as they relate to the post of Director General, National Informatics Centre, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General, National Informatics Centre in the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology, namely :-

1. **Short title and commencement. – (1)** These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology, Director General, National Informatics Centre, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Director General, National Informatics Centre.	1 (2014).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Higher Administrative Grade scale Rs. 67000 - 79000/- (annual increment at the rate of three percent.)	Not applicable.	Upto 50 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadman and Nicobar Islands or Lakshadweep

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promots	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
7	8	9	10	11	12	13
Essential: (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electronics and Communication or Information Technology or Computer Science	Not applicable.	One year for direct recruits.	By promotion / deputation (including short-term contract) / direct recruitment.	**Deputation (including short-term contract):** (A) Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies,-	Group 'A' Departmental Selection Committee consisting of:- 1. Secretary, Department of Electronics and	Not applicable.

or Computer Engineering or Electrical and Electronics or Electronics or Master's Degree in Computer Applications from a recognised institution. (ii) Master in Engineering or Master in Technology in Computer Science or Computer and Network Security or Electronics or Electronics and Communication or Communication or Electrical and Electronics or Information Technology or Remote Sensing or Geographic Information System, from a recognised institution. **Experience** i. Twenty-five years experience in the area of Information Technology or System Implementation or e-Governance, in the case of Government servants. ii. Twenty-five years of experience (in case of non Government servants) in the area of Information Technology or System Implementation or e-Governance, of which at lest five years as- (a) the Chief Executive of an Information Technology related organisation				(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years regular service in pay band – 4 Rs.37,400 – 67,000/- plus grade pay - Rs. 10,000 ; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. (B) All India Service Officers with twenty five years of regular service and with five years experience in the area of e-Governance. (The National Informatics Centre Scientist 'G' in the pay band-4, Rs. 37400-67000 plus grade pay - Rs. 10,000 with three years regular service in the grade shall be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment, the post shall be deemed to have filled by promotion.) Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age limit	Information Technology – Chairman; 2. Secretary, Department of Science and Technology – Member; 3. Secretary, Department of – Member; Personnel and Training 4. Secretary, Department of Tele – Communication – Member; 5. An eminent Scientist or Academician specialised in the relevant field – Member.	

825 GI/14-2

during the preceding ten years (here the Information Technology related organisation shall mean a private entity registered under any law for the time being inforce, with annual sales turn over of at least twenty-five crore rupees during the association of the candidate with the said organisation as its Chief Executive); or (b) the Director or Head of the Department of a recognised academic institution, engaged in education or research in the field of Information Technology. **Desirable :** Doctorate of Philosophy in any of the following streams: Computer Science or Computer and Network Security or Electronics or Electronics and Communication or Communication or Electrical and Electronics or Information Technology or Remote Sensing or Geographic Information system				for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications.		

[F.No. 1(9)/2013.P-III]

RAJ KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.